सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 322/18 **निर्णय दिनांकः 11.06.2019**

1. ओमप्रकाश पुत्र विशालाराम जाति सुथार निवासी ग्राम किलचू तहसील व जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 20.07.2018
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

उपस्थितः
1. श्री बसन्त व्यास, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनिया, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांटा ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के आदेश दिनांक 20–07–2018 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि बिना नोटिस दिये निरस्त की गई, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र मे राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को तहसील कोलायत में दिनांक 30–03–1984 को 46 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। जिसे कालान्तर में निरस्त कर दिया गया। उक्त निरस्ती आवंटन के विरूद्व न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलांट के पक्ष में निर्णय करते हुए आदेश दिये गये

कि अपीलांट को चक 7 बीजेएम के मुरब्बा नम्बर 4/49 के किला नम्बर 1 ता 25 की 25 बीघा अनकमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 4/47 के किला नम्बर 1 ता 21 की 21 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटित की जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त भूमि का आवंटन भी कर दिया गया। तत्पश्चात् किसी अन्य व्यक्ति कैलाश सिंह पुत्र प्रताप सिंह के प्रार्थना पत्र पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट को आवंटित भूमि निरस्त कर दी गई। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया कि अपीलांट द्वारा 35 प्रतिशत राशि पूर्व में ही जमा करवाई जा चुकी है। अदालत मातहत द्वारा 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने के उपरान्त अपीलांट के हक में आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया गया कि अपीलांट को आवंटित भूमि का पट्टा जारी किया जा चुका है। जबकि आवंटन नियमों में यह अभिनिर्धारित है कि जैसे ही आवंटी द्वारा 35 प्रतिशत राशि जमा करवाई जाती है तो ऐसी स्थिति में आवंटी के पक्ष में आराजी जैर का आवंटन पट्टा जारी करते हुए कब्जा प्रदान किया जाना चाहिए था।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को ध्यान में नहीं रखते हुए मात्र अन्य व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर अपीलांट का आवंटन निरस्त करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। जबकि कैलाश सिंह को किसी प्रकार की कोई लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा जारी अपीलाधीन आदेश पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलांट का आवंटन यथावत बहाल रखा जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए आवंटन करवाया गया है। उक्त आश्य की शिकायत होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वमेव तथ्यों को दृष्टिगत् रखते हुए अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया है। अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट ने उसे पूर्व में दिनांक 30—03—1984 को आवंटित भूमि का कब्जा नहीं मिलने के कारण अन्यत्र भूमि आवंटन हेतु अपील की थी। अपीलांट के कथन पर विश्वास करते हुए इस न्यायालय के आदेश दिनांक 03—05—2018 के द्वारा पूर्व आवंटन को निरस्त किया जाकर अन्यत्र भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश इस न्यायालय द्वारा दिये गये थे। आवंटन अधिकारी ने उक्त आदेश को आवंटन हेतु निर्देश मानकर आवंटन हेतु नियमों में निर्धारित प्रक्रिया को नजर अंदाज करते हुए तथा आवंटन सलाहकार समिति की राय के बिना ही अपीलांट को दुबारा भूमि आवंटित कर दी।

प्रकरण में कैलाश सिंह द्वारा उक्त अनियिमित आवंटन एवं आवेदक द्वारा ''किश्तों के अभाव में खारिज होने'' के तथ्यों को आवंटन अधिकारी के ध्यान में लाया गया। अपीलांट का कथन कि कैलाश सिंह को आपत्ति करने की लोकस स्टेण्डाई नहीं है, अप्रासंगिक है, क्योंकि आवांटन नियमों के तहत आवंटन अधिकारी के समक्ष किसी भी तरीके से कभी भी दुर्व्यपदेश या वास्तविक तथ्य सामने आने पर आवंटन खारिज किया जा सकता है। परीक्षण न्यायालय आवंटन अधिकारी कभी भी स्वप्रेरित कार्यवाही के तहत भी ऐसा आवंटन खारिज कर सकता है। ऐसी स्थिति में आवंटन अधिकारी के समक्ष अपीलांट/आवेदक की जालसाजी ध्यान में आते ही आवंटन आदेश निरस्त करने में कोई त्रूटि नहीं की है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, कोलायत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20—07—2018 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 11.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर